न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या– 2023/03

कैलाशनाथ आत्मज नानगानाथ जाति नाथ(जोगी) निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. हरजी नाथ आत्मज नानगानाथ जाति नाथ(जोगी) निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. मथुरा नाथ आत्मज नानगानाथ जाति नाथ(जोगी) निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवा, जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). रामदत्त शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय **दिनांक 11.08.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 56/2021 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि यह कि ग्राम बोरदा पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवा मे खाता संख्या नई 159 व खाता संख्या पुरानी 152 की खसरा संख्या 403 रकबा 0.5259 हेक्टेयर व खसरा संख्या 404 रकबा 0.5339 हेक्टेयर भूमि स्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 का बराबर–बराबर का

1/3 हिस्सा है, जिस पर संयुक्त रूप से खेती काश्त करते है, वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 भूमि के राहखातेदार काश्तकार है अपने हिस्से के अनुसार भूमि पर काबिज है। दिनांक 23.06.2021 को वादी अपने हिस्से 1/3 की भूमि पर ट्रैक्टर लेकर खरार करने गया तो प्रतिवादीगण ट्रैक्टर के आडे फिर गये और कहा कि उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर खरार नहीं करने देगें। उसको भूमि पर से बेदखल करके पूरी भूमि पर कब्जा करेंगे तथा कहा कि भूमि के खर्चे के अपने अपने हिस्से के पैसे भी अदा नहीं करेंगे व भूमि का बटवारा करवाने से भी प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया । यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वह वादी को उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर खरार करने से नहीं रोके नहीं वादी को उसके हिस्से की भूमि पर से बेदखल करके जबरदस्ती कब्जा ही करें । वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से के अनुसार प्रत्येक के 1/3 के हिसाब से भूमि का बंटवारा किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उनका नाम पृथक पृथक रूप से बतौर खातेदार दर्ज किया जायें। यह कि यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वादी को अपार एवं अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। अन्त में वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी प्रदान की जायें कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादी के 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी को खरार करने से नहीं रोके नहीं वादी को भूमि पर से बेदखल करके भूमि पर जबरन कब्जा ही करें तथा वाद पत्र की चरण संख्या में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 के मध्य उनके हिस्से के अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर वादी का नाम पृथक से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित हुए। दिनांक 13.07.2021 को उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामे के आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की जाकर तहसीलदार नैनवां को बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया। दिनांक 27.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत केम्प–कोर्ट बालापुरा में रखी जाकर विवादित भूमि के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिकी पारित की गई।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 2 को जारी सम्मन रजि. ए.डी. एक माह से अधिक का समय हो जाने के बावजूद भी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं होने से तामील होना स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 की अपीलांट को कोई सूचना नहीं थी। लोक अदालत में अपीलांट की अनुपस्थिति में अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 पारित की गई । कोरोना काल होने से अपीलांट कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। अन्त में अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ अतः उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 403 रकबा 0.5259 हैक्टर एवं खसरा नंबर 404 रकबा 0.5339 हैक्टर वाके ग्राम बोरदा पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में स्थित है, जिसमे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरजीनाथ एवं प्रतिवादी संख्या 1 कैलाशनाथ अपीलांट तथा प्रतिवादी संख्या 2 रैस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी अपीलांट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के संयुक्त खाते एंव कब्जे की आराजी है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 हरजीनाथ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारे के दावे में दिनांक 13–7–21 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिसके पश्चात

केम्प कोर्ट बालापुरा का वैधानिक नोटिस दिये बिना व सूचना दिये बिना तथा बंटवारा रिपोर्ट पर प्रार्थी को सुने बिना उक्त वाद संख्या 56 / 2021 बउनवान हरजीनाथ बनाम कैलाशनाथ वगैरा वाद बंटवारा भूमि में अपीलांट को बुलाये बिना व बिना सुने अन्तिम डिकी दिनांक 27–10–21 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दी गई । अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व अन्तिम डिकी वस्तु स्थिति एंव विधान के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त बाद में प्राथमिक डिकी के पश्चात मौके पर प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने व मौके पर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार द्वारा अपीलांट को कोई सूचना मौके पर उपस्थित रहने की नहीं दी गई । इसलिए भी उक्त निर्णय डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त बाद में प्रस्तावित बंटवारा न तो तहसीलदार साहब द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर किया गया न ही तहसीलदार साहब बंटवारा रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई इसलिए भी उक्त निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी द्वारा दिनांक 24–10–21 को प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट बनाने हेतु बताया जाकर दिनांक 25–10–2021 को आई एल आर एवं तहसीलदार साहब द्वारा बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा अनुप्रमाणित करवाना बताया गया है। जिससे की स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि तहसीलदार साहब ने मौके पर जाकर न तो प्रस्तावित बंटवारा किया न ही मौके पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गयी अतः राजस्थान टेनेन्सी नियम 18 से 21 की अनुपालना नहीं की गई है जो तहसीलदार साहब पर बाध्यकारी थी इसलिए भी उक्त निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट व नक्शे के समय न तो अपीलांट उपस्थित था न ही उसके सामने रिपोर्ट तैयार की गई उक्त बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा कानून व नियमो की पालना के विपरित होने से उसके आधार पर पारित निर्णय व डिकी निरस्तनीय है। पटवारी द्वारा जो प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई वह मोका स्थिति के अनुकुल नहीं है क्योंकि अपीलांट के हिस्से में जो भूमि खसरा संख्या 404 रखी गई उसका रास्ता खसरा नंबर 403 में से होकर था उसका कोई अंकन नहीं है तथा अपीलांट को बंटवारे में प्राप्त खसरा नंबर 404 की भूमि पर आवागमन व ट्रेक्टर दोली लाने ले जाने का जो पूर्ववत रास्ता था वह रास्ता खसरा संख्या 403 मे से नहीं देकर रेस्पो० संख्या 1को अनुचित लाभ पहुंचाया है जिसमें अपीलांट को बंटवारे में प्राप्त खसरा संख्या 404 की भूमि पर काश्त करना असम्भव हो गया है व अपीलांट की भूमि पड़त रहने की सम्भावना प्रबल हो गई है। अपीलांट को उसके हिस्से में दर्शायी भूमि पर पहुंच हेतु कोई रास्ता नहीं दिया गया। इसलिए भी उक्त निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होन से भी गिररत होने योग्य है। नियमानुसार मौके पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा किया जाता है जिसका पालन नहीं किया गया

इसलिए भी उक्त निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी मौका स्थिति के विपरित प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट पर आधारित होने से निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 27–10–2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम बोरदा तहसील नैनवां की खाता संख्या 159 में दर्ज खसरा नम्बर 403 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.5339 हैक्टेयर किता 2 रकबा 1.0598 हैक्टेयर कैलाशनाथ पुत्र नानगानाथ हिस्सा 1/3 जाति जोगी मथरानाथ पुत्र नानगनाथ हिस्सा 1/3 हरजीनाथ पुत्र नानगनाथ हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा सभी खातेदारान के हिस्से पर बैंक रहन का नोट अंकित है। प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 की है जिसके अनुसार ग्राम बोरदा तहसील नैनवां की खसरा नम्बर 403 व 404 में खातेदार के नाम के कॉलम में हरजीनाथ, मथरानाथ, कैलाशनाथ पि. नानगानाथ कौम जोगी सा.देह खातेदार अंकित है तथा फसल के कॉलम में दोनो खसरा नम्बर में खरीफ में उड़द तथा रबी में सरसों अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.07.2021 अनुसार तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजीनामा में स्पष्ट है कि उभयपक्षकारों के मध्य विवादित भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन स्वीकार किया गया तथा इसी अनुसार दिनांक 13.07.2021 को डिकी जारी की गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उन्हें 1/3 हिस्से अनुसार जारी प्राथमिक डिकी पर आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.10.2021 राजीनामा के आधार पर पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 13.07.2021 के पश्चात पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट बालापुरा में प्रस्तुत की गई। आदेशिका दिनांक 27. 10.2021 इस प्रकार है, "पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत पेश केम्प कोर्ट बालापुरा में आज पेश हुई। मुताबिक राजीनामा बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां से प्राप्त हो चुकी है। बहस बंटवारा रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।" परन्तु आदेशिका दिनांक 27.10.2021 पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। कौन–कौनसे पक्षकार दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कोर्ट कैम्प में उपस्थित थे, यह भी स्पष्ट नहीं है। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन

से सहमत है कि अन्तिम डिकी को लेकर कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया, केवल प्राथमिक डिकी को लेकर हिस्से के सम्बंध में राजीनामा प्रस्तुत किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसकी बहस सुनकर निर्णय दिनांक 27.10.2021 पारित किया । अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को उसे विभाजन में दी गई भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ते का प्रावधान ही नहीं किया गया है, तो यह बंटवारा नियमानुसार सही नहीं है। प्रथम दृष्ट्या परिशिष्ट–क के रूप में संलग्न नक्शा ट्रेस से यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि अपीलांट के पहुंच हेतु रास्ते का प्रावधान नहीं किया गया है। नियमानुसार बंटवारा करते समय पक्षकारों के पहुंच हेतु रास्ते का ध्यान रखा जाना चाहिए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, अतः अपीलांट के कथनों का कोई खण्डन भी न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्णय व डिकी दिनांक 27.10.2021 अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर भी अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिकी दिनांक 27.10.2021 विधिसम्मत नहीं है तथा इसे निरस्त किया जाना उचित है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 56/2021 मे पारित अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.10.2021 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदार करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 मे उल्लेखित बंटवारे के प्रावधानों अनुसार नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 31.08.2023 को उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 11.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा